राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

पत्रावली क्रमांक : प.15(24)राज/ वाद/ 91 जयपुर, दिनांक : 14-2-13

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/ सचिव/
समस्त विभागाध्यक्ष/ जिला कलक्टर ।

:: परिपत्र ::

विधि विभाग के द्वारा पूर्व में जारी (संलग्न) परिपत्र दिनांक 23.12.02 की पालना नहीं होने के कारण विभिन्न मामलों में मुख्य सचिव के नाम अधीनस्थ सिविल न्यायालयों से नोटिस प्राप्त हो रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि उक्त परिपत्र दिनांक 23.12.02 की जानकारी प्रभारी अधिकारियों व राजकीय अभिभाषकगणों को नहीं है या जानकारी होने के बावजूद पालना नहीं की जा रही है। अत: सभी संबंधित कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र की पूर्ण पालना करें। साथ ही एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर अगले तीन माह में सभी जिला कलक्टर यह सुनिश्चित करें कि उनके जिले के सभी विभागों में जिन प्रकरणों में मुख्य सचिव महोदय को पक्षकार बनाया गया है, उनमें मुख्य सचिव महोदय को पक्षकार से हटाये जाने हेतु संबंधित न्यायालय में राजकीय अभिभाषकगण के माध्यम से सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करावें।

ऐसे मूल निस्तारित प्रकरण जिनमें मुख्य सचिव पक्षकार ही नहीं थे, उनके संबंध में दायर अवमानना याचिकाओं में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया जाकर अवमानना याचिकाऐं दायर की जा रही हैं, ऐसे सभी विचाराधीन अवमानना याचिकाओं में मुख्य सचिव को पक्षकार के रूप में हटाये जाने बाबत माननीय उच्च न्यायालय में संबंधित राजकीय अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जावें। साथ ही भविष्य में दायर होने वाली अवमानना याचिकाओं में भी इसकी पालना सुनिश्चित की जावे।

उपरोक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करते हुए पालना की स्थिति से दिनांक 15.05.13 तक रिपोर्ट भिजवायें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

ह./-
(प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक : प.1(7)डीएलआर/ एल/ 98 जयपुर, दिनांक : 23 दिसम्बर, 2002

समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष/ जिला कलक्टर
निदेशक, उद्योग

:: परिपत्र ::

प्राय: यह देखने में आ रही है कि पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालयों में दीवानी दावा/ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र/ अपील इत्यादि प्रस्तुत करते समय राजस्थान राज्य को जरिये मुख्य सचिव अनावश्यक पक्षकार बना लेते हैं जबकि दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 79 एवं 80 में यह प्रावधान है कि किसी भी पक्षकार द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध दीवानी वाद प्रस्तुत करते समय राज्य को विभाग के शासन सचिव अथवा जिला कलेक्टर के जरिये पक्षकार बनाया जाना चाहिए। इसी के साथ विधि एवं विधिक कार्य विभाग नियमावली, 1999 के नियम 118 में भी यही प्रावधान है कि राज्य के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने के लिए शासन सचिव अथवा कलेक्टर के जरिये राज्य को पक्षकार बनाया जाना चाहिए।

अत: उपरोक्त प्रावधानों की ओर निदेशानुसार समस्त प्रमुख शासन सचिवगण/ शासन सचिवगण, विभागाध्यक्ष एवं जिला कलेक्टरगण का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि जैसे ही मुख्य सचिव के नाम से दीवानी वाद/ प्रार्थना पत्र/ अपील इत्यादि में कोई नोटिस आदि प्राप्त हो तो वे प्रभारी अधिकारी को निर्देशित करें कि वह प्राथमिक रूप से न्यायालय में यह आपत्ति प्रस्तुत करावें कि दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 79 एवं 80 व विधि एंव विधिक मामलात विभाग नियमावली, 1999 के प्रावधान के अनुसार शासन सचिव अथवा कलेक्टर के जरिये ही राज्य को पक्षकार बनाया जा सकता है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद/ प्रार्थना पत्र/ अपील के शीर्षक (title) में दुरूस्ति की जावे एवं मुख्य सचिव को जो पक्षकार बनाया है वह 'पक्षकार अनावश्यक' होने से दावे/ प्रार्थना पत्र/ अपली से हटाया जाये।

इस परिपत्र की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

ह./-
शासन विधि सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

पत्रावली कमांक प0 15(24)राज/वाद/91 जयपुर दिनांकः 14-2-13

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/सचिव/
समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर।

:: परिपत्र ::

विधि विभाग के द्वारा पूर्व में जारी (संलग्न) परिपत्र दिनांक 23.12.02 की पालना नहीं होने के कारण विभिन्न मामलों में मुख्य सचिव के नाम अधीनस्थ सिविल न्यायालयों से नोटिस प्राप्त हो रहे है। इससे प्रतीत होता है कि उक्त परिपत्र दिनांक 23.12.02 की जानकारी प्रभारी अधिकारियों व राजकीय अभिभाषकगणों को नहीं है या जानकारी होने के बावजूद पालना नहीं की जा रही है। अतः सभी संबंधित कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र की पूर्ण पालना करें। साथ ही एक समयबद्ध कार्यकम बनाकर अगले तीन माह में सभी जिला कलक्टर यह सुनिश्चित करें कि उनके जिले के सभी विभागों में जिन प्रकरणों में मुख्य सचिव महोदय को पक्षकार बनाया गया है, उनमें मुख्य सचिव महोदय को पक्षकार से हटाये जाने हेतु संबंधित न्यायालय में राजकीय अभिभाषकगण के माध्यम से सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करावें।

ऐसे मूल निस्तारित प्रकरण जिनमें मुख्य सचिव पक्षकार ही नहीं थे, उनके संबंध में दायर अवमानना याचिकाओं में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया जाकर अवमानना याचिकाऐं दायर की जा रही है, ऐसे सभी विचाराधीन अवमानना याचिकाओं में मुख्य सचिव को पक्षकार के रूप में हटाये जाने बाबत् माननीय उच्च न्यायालय में संबंधित राजकीय अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जावें। साथ ही भविष्य में दायर होने वाली अवमानना याचिकाओं में भी इसकी पालना सुनिश्चित की जावे।

उपरोक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करते हुए पालना की स्थिति से दिनांक 15.05.13 तक रिपोर्ट भिजवायें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

14/2/13

(प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प01(7)डीएलआर/रज/95 जयपुर, दिनांक: 23 दिसम्बर, 2002.

समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव

समस्त विभागाध्यक्ष/ जिला कलेक्टर

निदेशक, उद्योग

27 DEC 2002

परिपत्र

प्राय: यह देखने में आ रहा है कि पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालयों में दीवानी दावा/ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र/ अपील इत्यादि प्रस्तुत करते समय राजस्थान राज्य को जरिये मुख्य सचिव अनावश्यक पक्षकार बना लेते हैं जबकि दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 79 एवं 80 में यह प्रावधान है कि किसी भी पक्षकार द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध दीवानी वाद प्रस्तुत करते समय राज्य को विभाग के शासन सचिव अथवा जिला कलेक्टर के जरिये पक्षकार बनाया जाना चाहिए। इसी के साथ विधि एवं विधिक कार्य विभाग नियमावली, 1999 के नियम 118 में भी यही प्रावधान है कि राज्य के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने के लिए शासन सचिव अथवा कलेक्टर के जरिये राज्य को पक्षकार बनाया जाना चाहिए।

अत: उपरोक्त प्रावधानों की ओर निर्देशानुसार समस्त प्रमुख शासन सचिवगण/ शासन सचिवगण, विभागाध्यक्ष एवं जिला कलेक्टरगण का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि जैसे ही मुख्य सचिव के नाम से दीवानी वाद/ प्रार्थना-पत्र/ अपील इत्यादि में कोई नोटिस आदि प्राप्त हो तो वे प्रभारी अधिकारी को निर्देशित करें कि वह प्राथमिक रूप से न्यायालय में यह आपत्ति प्रस्तुत करावें कि दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 79 एवं 80 व विधि एवं विधिक मामलात विभाग नियमावली, 1999 के प्रावधान के अनुसार शासन सचिव अथवा कलेक्टर के जरिये ही राज्य को पक्षकार बनाया जा सकता है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद/ प्रार्थना-पत्र/ अपील के शीर्षक (title) में इन्द्राज की जावे एवं मुख्य सचिव को जो पक्षकार बनाया है, वह "पक्षकार अनावश्यक" होने से वादे/ प्रार्थना-पत्र/ अपील से हटाया जाय।

इस परिपत्र की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

शासन विधि सचिव।